Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 2 | ISSN : 2581- 6306

महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा, प्रकृति कारण एवं निवारण

डॉ.वंचना सिंह परिहार
प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर (सखी), महिला बाल विकास विभाग जिला इंदौर (म.प्र.)

Article Info

Publication Issue :
March-April-2023
Volume 6, Issue 2

Page Number : 43-65

Article History
Received : 07 March 2023
Published : 15 April 2023

शोधसारांश– मान्यता है कि ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना नारी एवं नारी का स्वभाव है। प्रतोक रिश्ते को निभाना, रिश्तों के साथ जीना, नारी के खूबसूरत स्वभाव में स्नेह, प्रेम, करूणा, दया, सहिष्णुता, धैर्य, वात्सल्य, आवश्यकता पड़ने पर शक्ति स्वरूपा जैसे गुण विद्यमान है। माना जाता है कि नारी को वह शक्ति प्रकृति ने प्रदान की है जो प्राचीन काल से ही समस्त सामाजिक दायित्वों को निभा रही है। नारी दृढ़ निश्चयी एवं साहसी भी है। किंतु परिवर्तनशील समाज के नारी के साथ भी व्यवहार में परिवर्तन आता रहा है। कभी समानता एवं सम्मान का व्यवहार तो कभी असमानता शोषण, भेदभाव, अत्याचार जैसे व्यवहार का सामना नारी को करना पड़ा है। सामाजिक विकास के चरण में नारी द्वारा पुरूषों की आधीनता की मौन स्वीकृति ने नारी शोषण एवं अत्याचार को बढ़ावा दिया। पितृ सत्तात्मक समाज एवं संस्कृति ने नारी को अपने ही घर में दो यम दर्जे का व्यक्ति घोषित कर दिया। शनैः शनैः आर्थिक निर्भरता ने नारी को प्रस्थिति को पुरी तरह से निम्न स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं के साथ होने वाली घरेलु हिंसा को दृष्टिगोचर करने के लिए है। घरेलु हिंसा की प्रकृति, उनका कारण एवं निवारण के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन केंद्रित हैं प्रस्तुत अध्ययन में इंदौर जिले के 300 परिवारों को न्यायदर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। जिसमें से 100 महिलाये नौकरी पेशा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है फिर भी घरेलु हिंसा की शिकार है। 100 महिलायें निम्न वर्ग से है, जो किसी छोटे–मोटे व्यवसाय से जुड़ी हैं, असंगठित क्षेत्र की मजदूरी पेशा महिलाओं है, जो स्वयं आर्थिक उपार्जन कर रही है किंतु घरेलु, हिंसा का शिकार है। 100 महिलाएँ गृहिणीयाँ है जो सभी वर्गों से हैं। आर्थिक रूप से पति व परिवार पर निर्भर हैं तथा किसी –न–किसी प्रकार से घरेलु हिंसा से पीड़ित हैं। अध्ययन से घरेलु हिंसा के विभिन्न प्रकार व कारण उभरकर सामने आये है। पारिवारिक दायित्व को भी बखूभी निभा रही है। ऐसे में समय आ गया है कि समाज में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ–साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी मूर्त रूप में आये। लोगों की, समाज की सोच सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो। युवा सोच स्वयं के साथ–साथ नारी सम्मान को महत्ता दे। महिलाओं–बेटियों–बहनों के प्रति व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन एवं सम्मान लाना अतिआवश्यक हो गया है। सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सामाजिक आम जनता की है कि वे महिलाओं के प्रति बढ़ते घरेलु हिंसा को समाप्त कर समतामूलक एवं समाजजनक समाज का निर्माण करे।

मुख्य शब्द– घरेलु हिसा, समतामूलक समाज, संरचनात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, असंगठित क्षैत्र, नारी सम्मान, सामाजिक विकास, पितृ सत्तात्मक समाज, सामाजिक विघटन।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना :–"केवल एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता" यह वाक्य किसी फिल्म का मात्र एक डायलॉग ही नहीं बल्कि विभिन्न समाजों की बदरंग हकीकत को भी उजागर करता है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है।

सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है। इस आलेख में घरेलू हिंसा के कारणों, समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

घरेलू हिंसा क्या है?

- घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ति महिला किसी भी वयस्क व्यक्ति को अभियोजित कर सकती है अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।

भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप :– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं–

- महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा– किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे– मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना,महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70: विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।
- बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चार दीवारों के भीतर छिपा हुआ है।

- बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मार–पीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है।

शोध क्षेत्र :– प्रस्तुत शोध पत्र का क्षेत्र भारत में महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा, प्रकृति, कारण एवं निवारण संबंधी मुद्दे पर केंद्रित है, जिसमें सैम्पलिंग हेतु मध्यप्रदेष के इंदौर जिले को चयनित किया गया है।

शोध उद्देष्य :–

1. प्रस्तुत शोध द्वारा भारत में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलु हिंसा की वास्तविक स्थिति से अवगत होना
2. घरेलु हिंसा को प्रकृति का पहचानना।
3. घरेलु हिंसा के कारण तत्वों को समझना,
4. घरेलु हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उपायों का विष्लेषण करना।

शोध विधि :– प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा, प्रकृति, कारण एवं निवारण का अध्ययन करने के लिए इंदौर जिले का चुनाव किया गया है। प्राथमिक शोध विषय पर आँकड़े एकत्र करने के लिए इंदौर जिले में 300 लोगों का न्यादर्ष लेकर उनसे प्रष्नावली से प्रष्न पूँछे गये। द्वितीयक आवष्यक समंकों को प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रकाषनों, समाचार–पत्र तथा इन्टरनेट आदि का प्रयोग किया गया है। अवलोकन, साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग किया गया। एकत्रित आँकड़ों का वर्गीकरण, सारणीयन, प्रतिषत आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके निर्वचन किया गया है।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं विष्लेषण :– प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन के आधार पर वर्गीकृत, सारणीयन कर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का विष्लेषण किया गया है।

1. उत्तरदाता की आयु?

तालिका क्रमांक –1

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	18 वर्ष से कम	12	4
2	18 से 35 वर्ष	163	54.33
3	36 से 50 वर्ष	69	23
4	51 से 60 वर्ष	45	15
5	60 वर्ष से अधिक	11	3.66
	कुल	300	100

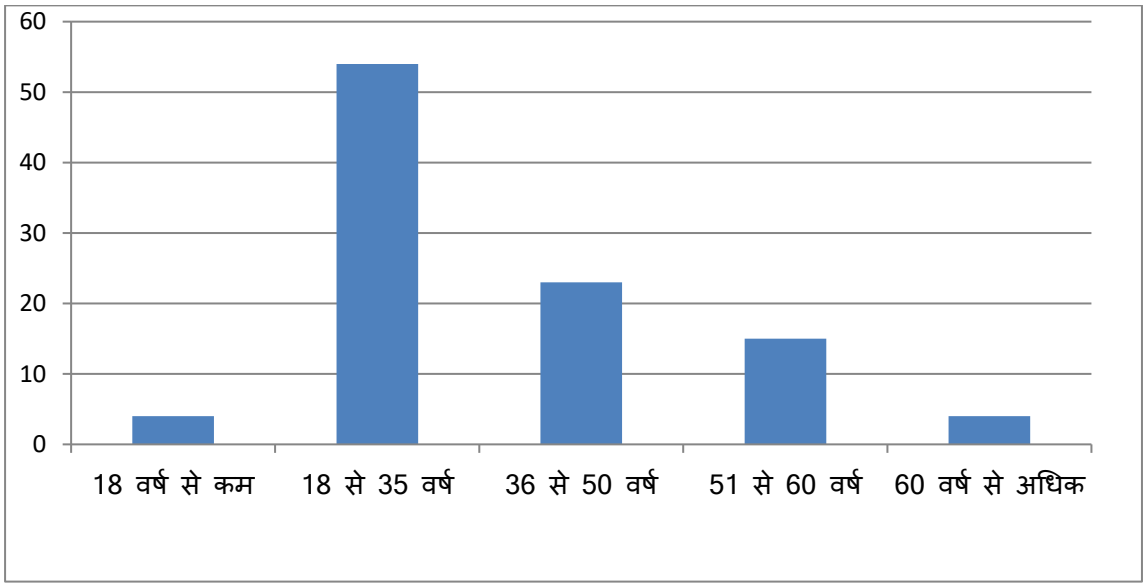

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 54.33 प्रतिषत 18 से 35 वर्ष की महिला , 23 प्रतिषत 36 से 50 वर्ष की महिला, 15 प्रतिषत 51 से 60 वर्ष की महिला, 4 प्रतिषत 18 वर्ष से कम की महिला, 3.66 प्रतिषत 60 वर्ष से अधिक महिला घरेलु हिंसा में अपना मत उत्तरदाता द्वारा दिया गया है।

2. क्या उत्तरदाता साक्षर है?

तालिका क्रमांक –2

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	277	92
2	नहीं	23	8
	कुल	300	100

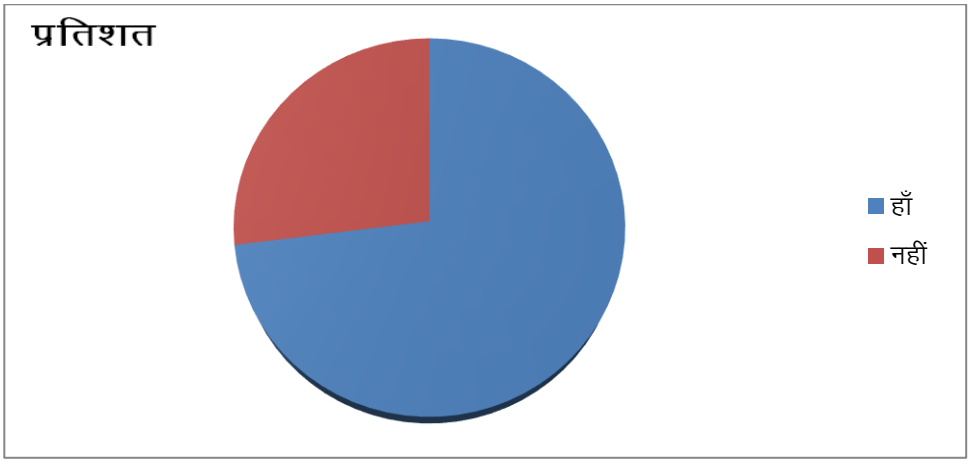

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 92 प्रतिषत उत्तरदाता है एवं 8 प्रतिषत उत्तरदाता घरेलु हिंसा में साक्षर है।

3. उत्तरदाता की शैक्षणिक योग्यता?

तालिका क्रमांक –3

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	प्राथमिक स्कूल	37	12.33
2	माध्यमिक स्कूल	42	14
3	उच्च्तर माध्यमिक स्कूल	75	25
4	स्नातक	82	27.33
5	स्नातकोत्तर	57	19
6	अन्य	7	2.33
	कुल	300	100

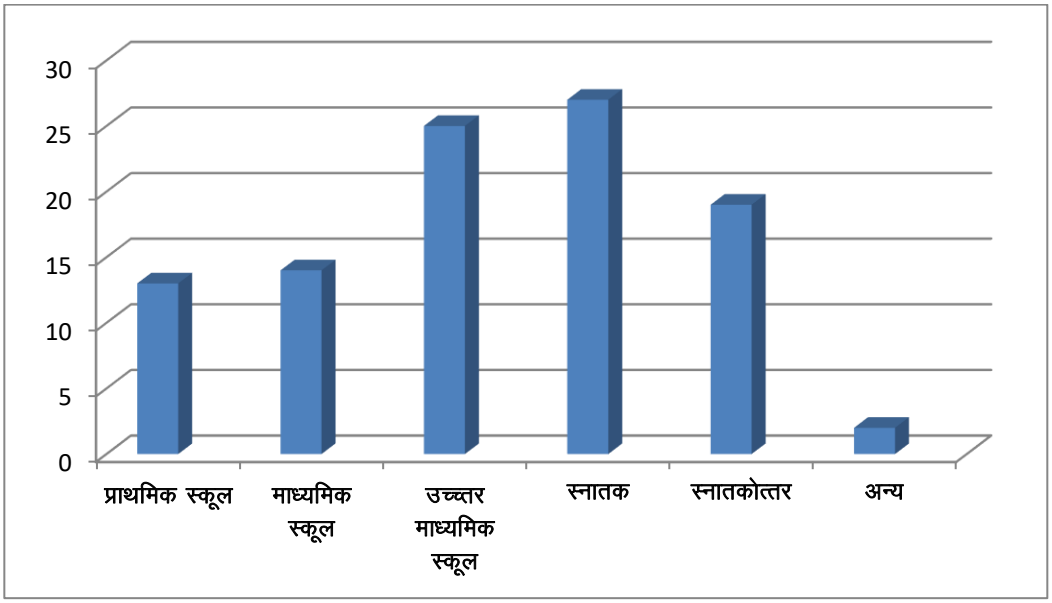

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 27.33 प्रतिषत स्नातक, 25 प्रतिषत उच्च्तर माध्यमिक स्कूल, 19 प्रतिषत स्नातकोत्तर, 14 प्रतिषत माध्यमिक स्कूल, 12 प्रतिषत प्राथमिक स्कूल, 2 प्रतिषत अन्य उत्तरदाता की शैक्षणिक योग्यता है।

4. उत्तरदाता के पास किस प्रकार का रोजगार है।,

तालिका क्रमांक –4

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	सरकारी नौकरी	50	16.66
2	गैर सरकारी/ निजी नौकरी	70	23.33
3	स्वनियोजित	33	11
4	गृहिणी	129	43
5	अन्य	18	6
	कुल	300	100

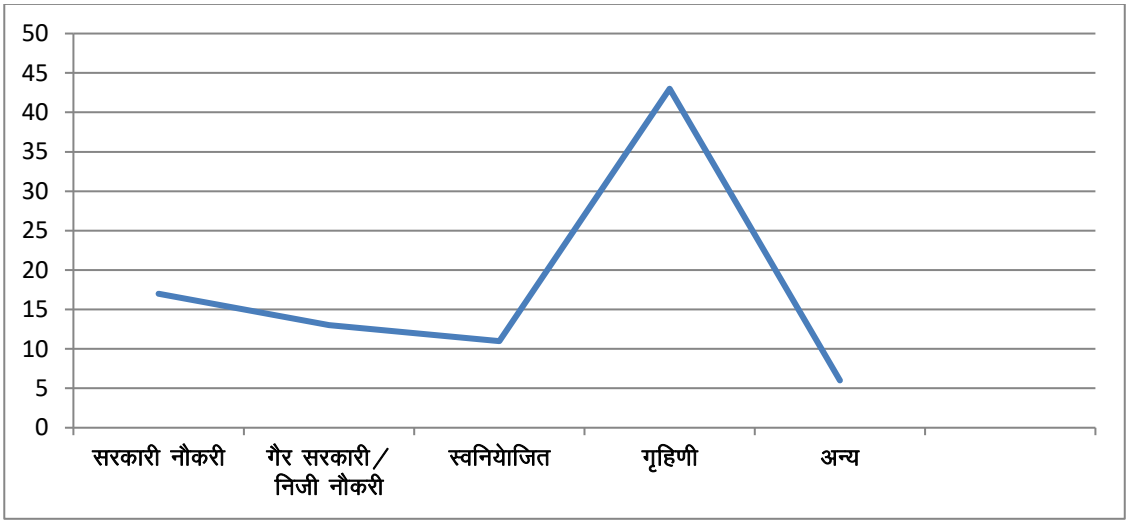

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 43 प्रतिषत गृहिणी, 23.33 प्रतिषत गैर सरकारी/ निजी नौकरी, 16.66 प्रतिषत सरकारी नौकरी, 11 प्रतिषत स्वनियोजित एवं 6 प्रतिषत अन्य उत्तरदाता के पास इस प्रकार का रोजगार है।

5. प्रति माह पारिवारिक आय

तालिका क्रमांक –5

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	10,000/- to 25,000/-	59	19.66
2	25,000/- to 50,000/-	90	30
3	50,000/- to 75,000/-	78	26
4	75,000/- to 1,00,000/-	52	17.33
5	Above or any	21	7
	कुल	300	100

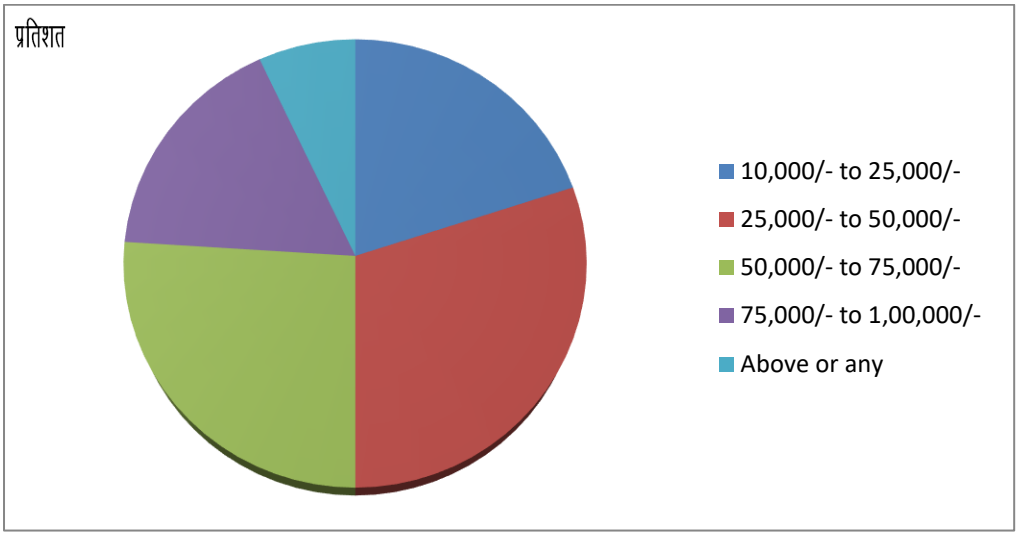

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 30 प्रतिषत 25,000/- to 50,000/-, 26 प्रतिषत 50,000/- to 75,000/- , 19.66 प्रतिषत 10,000/- to 25,000/-, 17.33 प्रतिषत 75,000/- to 1,00,000/- , 7 प्रतिषत अन्य उत्तरदाता की पारिवारिक आय है।

6. क्या उत्तरदाता ' घरेलु हिंसा ' शब्द से परिचित है?

तालिका क्रमांक –6

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	218	72.66
2	नहीं	82	27.33
	कुल	300	100

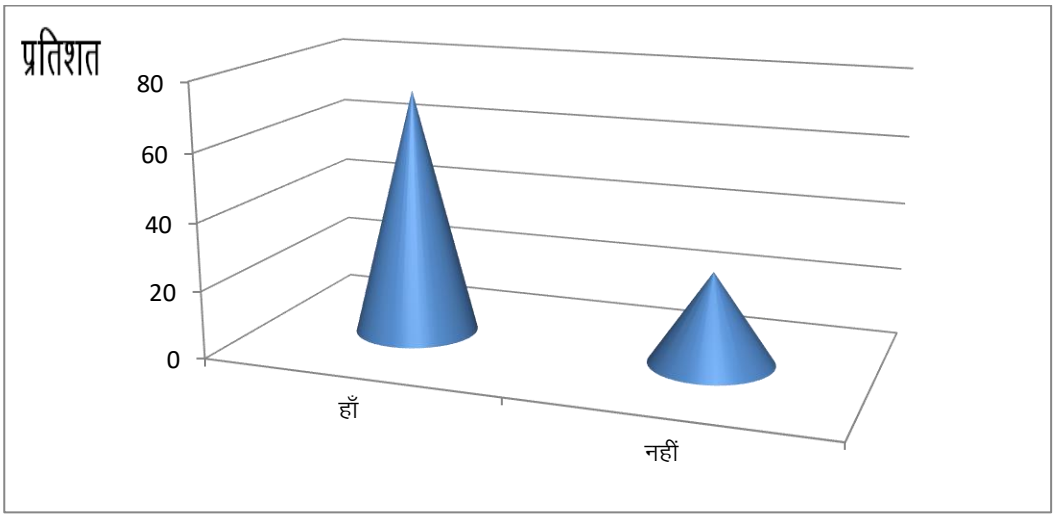

रोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 72.66 प्रतिषत उत्तरदाता 'घरेलु हिंसा' शब्द से परिचित है एवं 27.33 प्रतिषत उत्तरदाता 'घरेलु हिंसा शब्द से परिचित नहीं है।

7. क्या उत्तरदाता द्वारा परिवार में पति या अन्य सदस्यों द्वारा कारित की जाने वाली हिंसा को' घरेलु हिंसा' की श्रेणी रखा जाता है?

तालिका क्रमांक –7

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	162	54
2	नहीं	138	46
	कुल	300	100

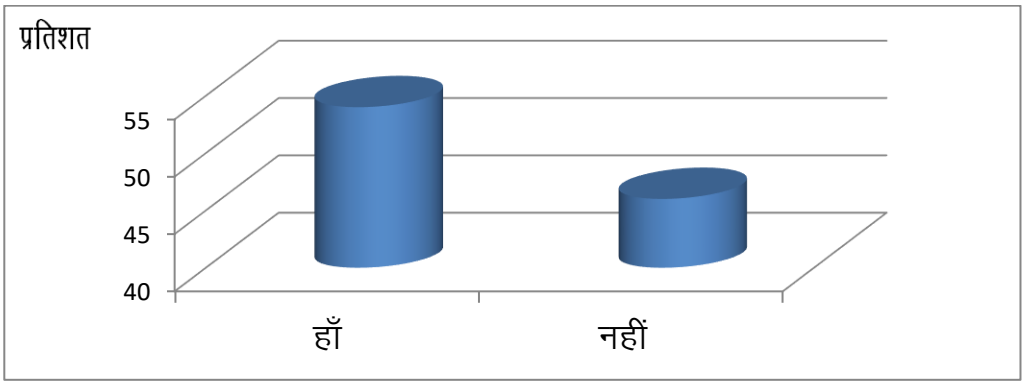

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 54 प्रतिषत उत्तरदाता द्वारा परिवार में पति या अन्य सदस्यों द्वारा कारित की जाने वाली हिंसा को' 'घरेलु हिंसा ' की श्रेणी रखा जाता है एवं 46 प्रतिषत उत्तरदाता ने नहीं में अपना मत प्रदान किया है।

8. क्या उत्तरदाता द्वारा पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किये जाने वाले शारीरिक हिंसा को ही 'घरेलु हिंसा ' की श्रेणी में रखा जाता है?

तालिका क्रमांक –8

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	208	69.33
2	नहीं	92	30.66
	कुल	300	100

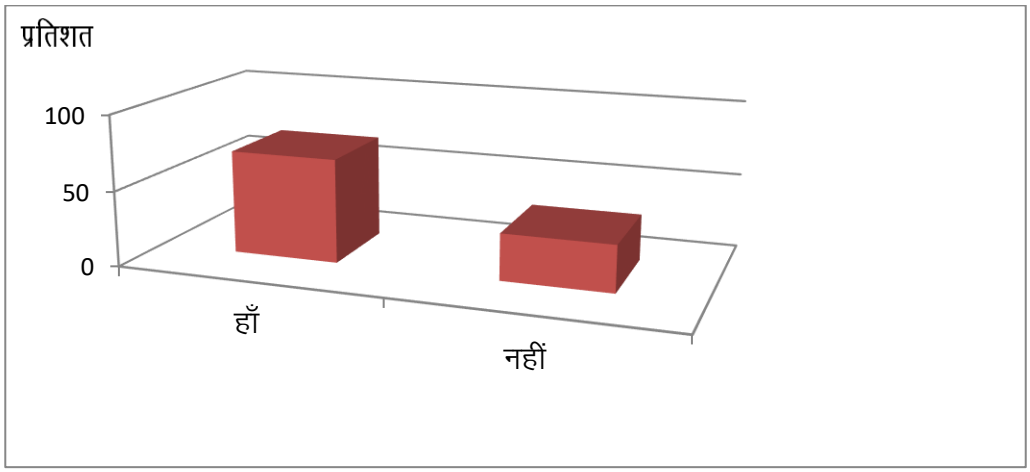

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 69.33 प्रतिषत उत्तरदाता द्वारा मत दिया गया कि पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किये जाने वाले शारीरिक हिंसा को ही 'घरेलु हिंसा ' की श्रेणी में रखा जाता है एवं 30.66 प्रतिषत उत्तरदाता द्वारा मत नहीं दिया गया

9. उत्तरदाता द्वारा निम्न में से किसे ' घरेलु हिंसा ' की श्रेणी में रखा जाता है?

तालिका क्रमांक –9

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	बल पूर्वक मारपीट	102	34
2	शिक्षा एवं नौकरी से रोकना	21	7
3	घर में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न करना	33	11
4	बच्चे जन्म न देने पर बांझ बोलना	54	18
5	पुत्री जन्म पर अपमान करना	36	12
6	रूप रंग पर अवांछित टिप्पणी करना	9	3
7	उपरोक्त सभी	47	15.66
	कुल	300	100

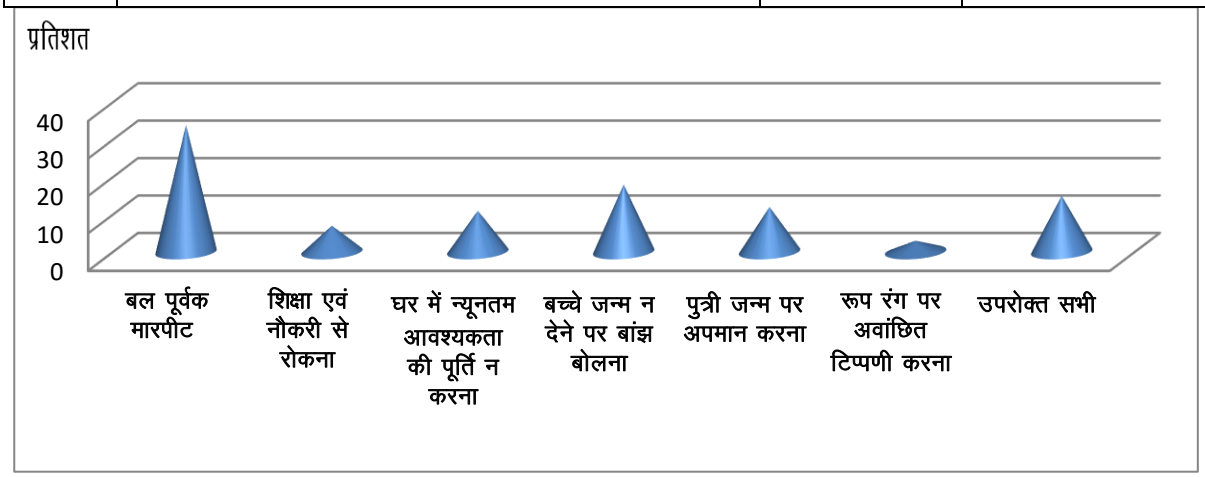

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में उत्तरदाता द्वारा 34 प्रतिषत बल पूर्वक मारपीट, 18 प्रतिषत बच्चे जन्म न देने पर बांझ बोलना, 12 प्रतिषत पुत्री जन्म पर अपमान करना, 11 प्रतिषत घर में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न करना, 7 प्रतिषत शिक्षा एवं नौकरी से रोकना, 3 प्रतिषत रूप रंग पर अवांछित टिप्पणी करना, 15.66 प्रतिषत उपरोक्त सभी को 'घरेलु हिंसा ' की श्रेणी में रखा जाता है

10. उत्तरदाता कितने प्रकार के ' घरेलु हिंसा ' की श्रेणी से परिचित है:–

तालिका क्रमांक –10

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	घरेलू हिंसा	121	40.33
2	यौनिक हिंसा	99	33
3	भावनात्मक हिंसा	24	8
4	आर्थिक हिंसा	12	4
5	शारीरिक हिंसा	44	14.66
	कुल	300	100

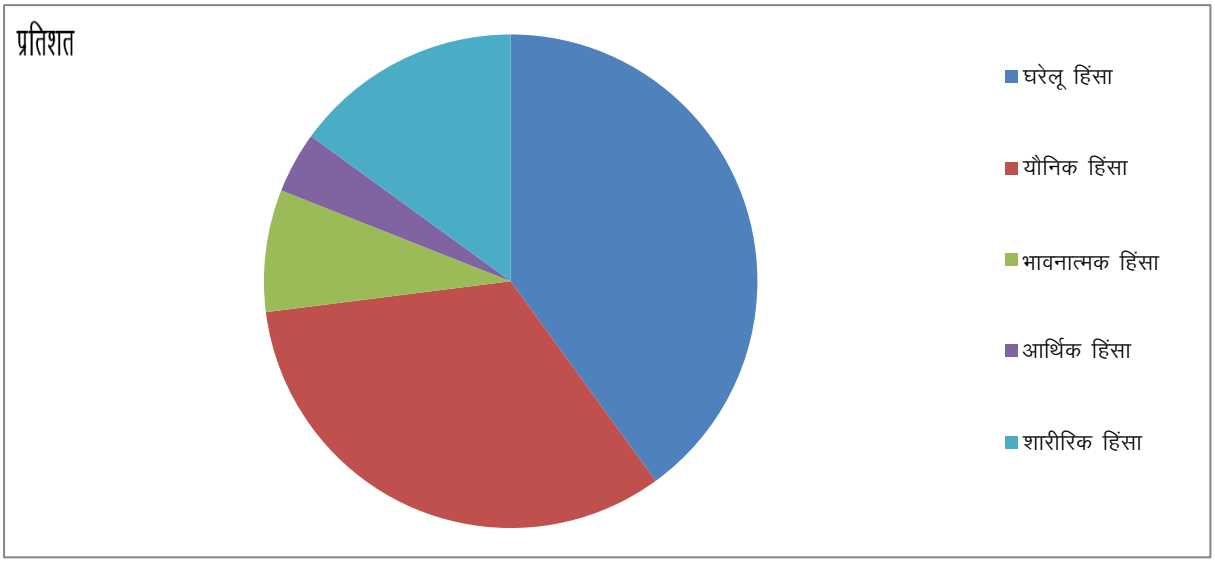

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में उत्तरदाता द्वारा 40.33 प्रतिषत घरेलू हिंसा, 33 प्रतिषत यौनिक हिंसा, 14.66 प्रतिषत शारीरिक हिंसा, 8 प्रतिषत भावनात्मक हिंसा, 4 प्रतिषत आर्थिक हिंसा इन प्रकार के 'घरेलु हिंसा ' की श्रेणी से परिचित है

11. क्या उत्तरदाता के साथ घरेलु हिंसा हुई है?

तालिका क्रमांक –11

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	268	89.33

2	नहीं	32	10.66
	कुल	300	100

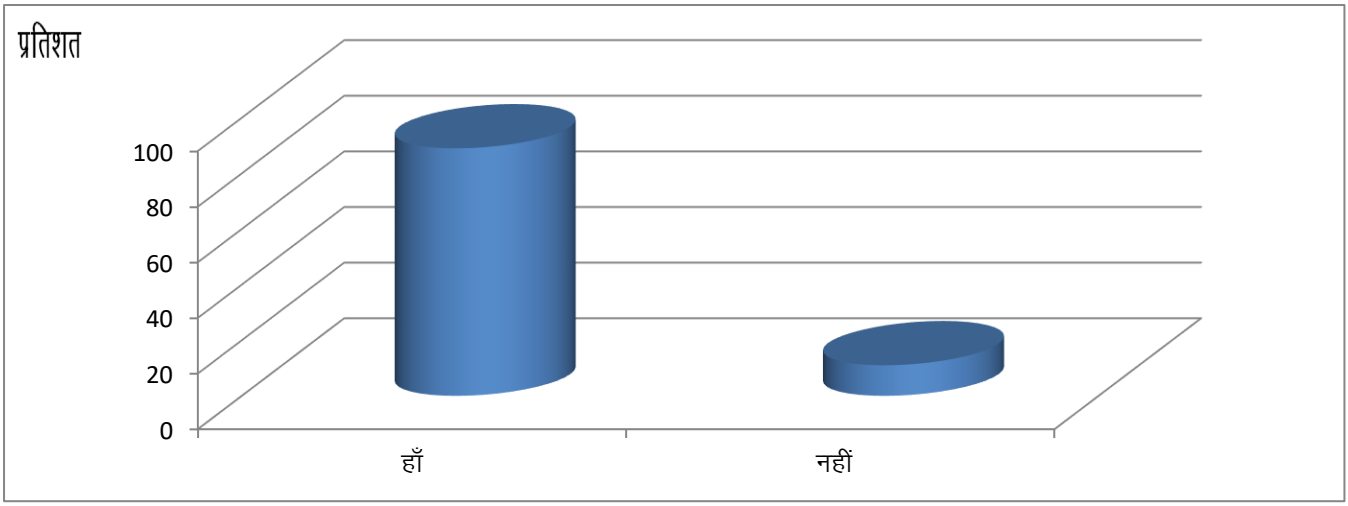

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में उत्तरदाता द्वारा मत दिया गया 89.33 प्रतिषत के साथ घरेलु हिंसा हुई है एवं 10.66 प्रतिषत के साथ घरेलु हिंसा नहीं हुई है।

12. क्या उत्तरदाता के साथ निरंतर घरेलु हिंसा होतीहै?

तालिका क्रमांक –12

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	178	59..33
2	नहीं	122	40.66
	कुल	300	100

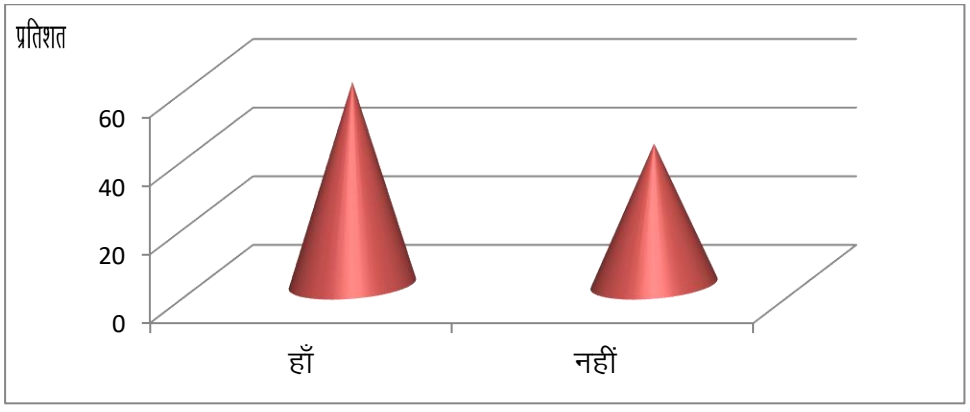

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में उत्तरदाता द्वारा मत दिया गया 59.33 प्रतिषत उत्तरदाता के साथ निरंतर घरेलु हिंसा होती है एवं 40.66 प्रतिषत के साथ घरेलु हिंसा नहीं होती है।

13. यदि हॉ, तो कितने अंतराल में घरेलु हिंसा होती है?

तालिका क्रमांक –13

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	सप्ताह में दो बार	26	8.66
2	सप्ताह में तीन बार	30	10
3	सप्ताह में एक बार	32	10.66
4	माह में एक बार	40	13.33
5	कोई निश्चित नहीं है	172	57
	कुल		100

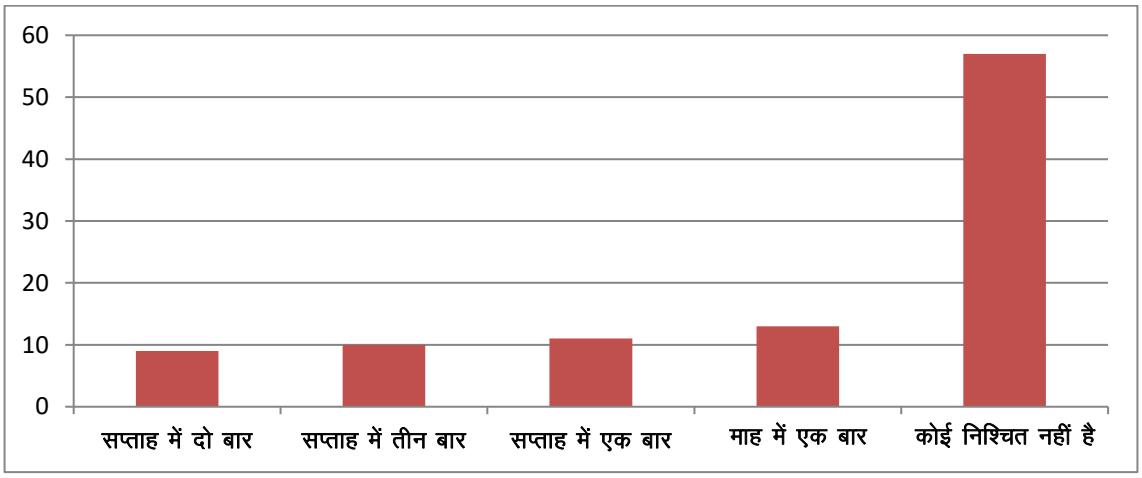

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में उत्तरदाता द्वारा मत दिया गया 8.66 प्रतिषत सप्ताह में दो बार, 10 प्रतिषत सप्ताह में तीन बार, 10.66 प्रतिषत सप्ताह में एक बार, 13.33 प्रतिषत माह में एक बार, 57 प्रतिषत कोई निश्चित नहीं है के अंतराल में घरेलु हिंसा होती है

14. उत्तरदाता के साथ किस प्रकृति की घरेलु हिंसा हो रही है?

तालिका क्रमांक –14

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	शारीरिक	118	39.33
2	भावनात्मक	58	19.33
3	आर्थिक	88	29.33
4	यौनिक	18	6

5	उपरोक्त सभी	18	6
	कुल	300	100

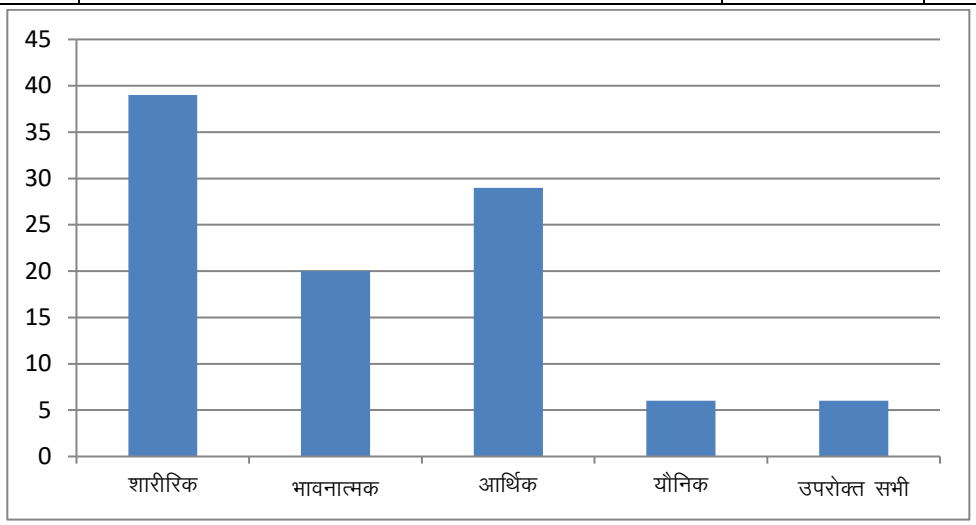

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में उत्तरदाता द्वारा मत दिया गया 8.39.33 प्रतिषत शारीरिक, 19.33 प्रतिषत भावनात्मक, 29.33 प्रतिषत आर्थिक, 6 प्रतिषत यौनिक, 6 प्रतिषत उपरोक्त सभी उत्तरदाता के साथ इस प्रकृति की घरेलु हिंसा हो रही है।

15. उत्तरदाता के अनुसार घरेलु हिंसा के कारण क्या है?

तालिका क्रमांक –15

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	गरीबी	42	14
2	अंधविश्वास	33	11
3	परम्परागत सोच	35	11.66
4	अशिक्षा	32	10.66
5	पितृ सत्तात्मक समाज	55	18.33
6	विवाहेन्तर संबंध	55	18.33
7	पारिवारिक दबाव	25	8.33
8	दहेज	12	4
9	उपरोक्त सभी	8	2.6
10	अन्य	3	1
	कुल	300	100

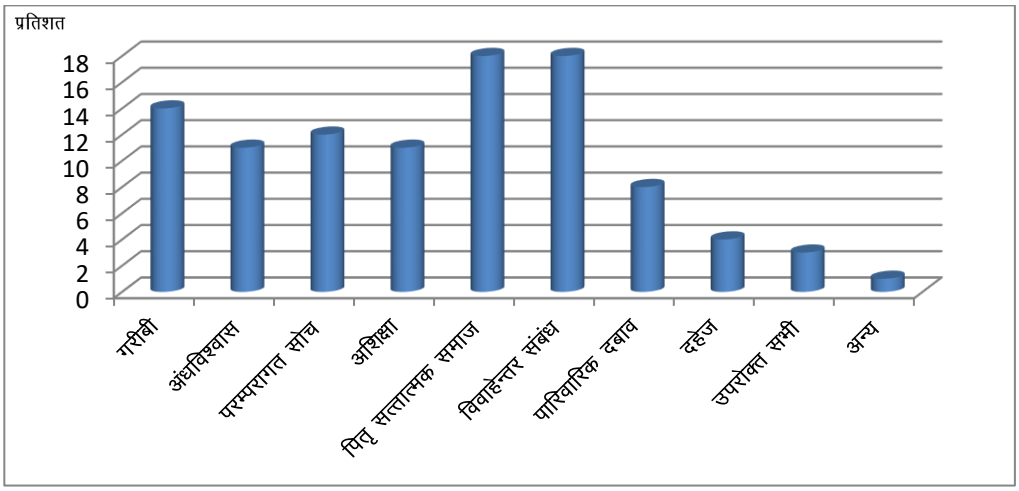

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 18.33 प्रतिषत पितृ सत्तात्मक समाज, 18.33 प्रतिषत विवाहेन्तर संबंध, 14 प्रतिषत गरिबी, 11.66 प्रतिषत परम्परागत सोच, 11 प्रतिषत अंधविष्वास, 10.66 प्रतिषत अशिक्षा, 8.33 प्रतिषत पारिवारिक दबाव, 4 प्रतिषत दहेज, 2.6 प्रतिषत उपरोक्त सभी, 1 प्रतिषत अन्य उत्तरदाता के अनुसार घरेलु हिंसा के कारण है।

16. क्या उत्तरदाता को महसूस होता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया एक प्रमुख कारण है घरेलु हिंसा का?

तालिका क्रमांक –16

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	125	41.67
2	नहीं	175	58.33
	कुल	300	100

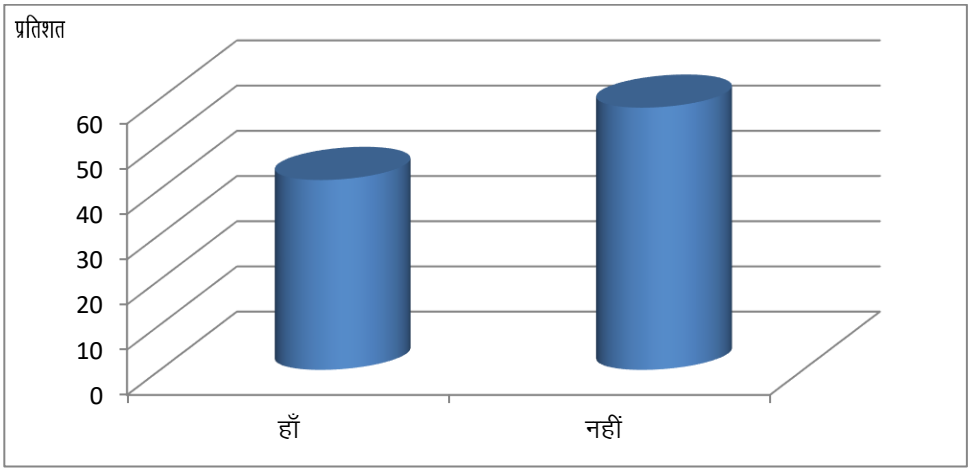

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 58.33 प्रतिषत उत्तरदाता को महसूस होता है कि घरेलु हिंसा का मोबाइल और सोशल मीडिया एक प्रमुख कारण है एवं 41.67 प्रतिषत उत्तरदाता को महसूस नहीं होता हैं।

17. क्या उत्तरदाता को महसूस होता है कि नशा एक महत्वपूर्ण कारण है घरेलु हिंसा का?

तालिका क्रमांक – 17

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	222	74
2	नहीं	78	26
	कुल	300	100

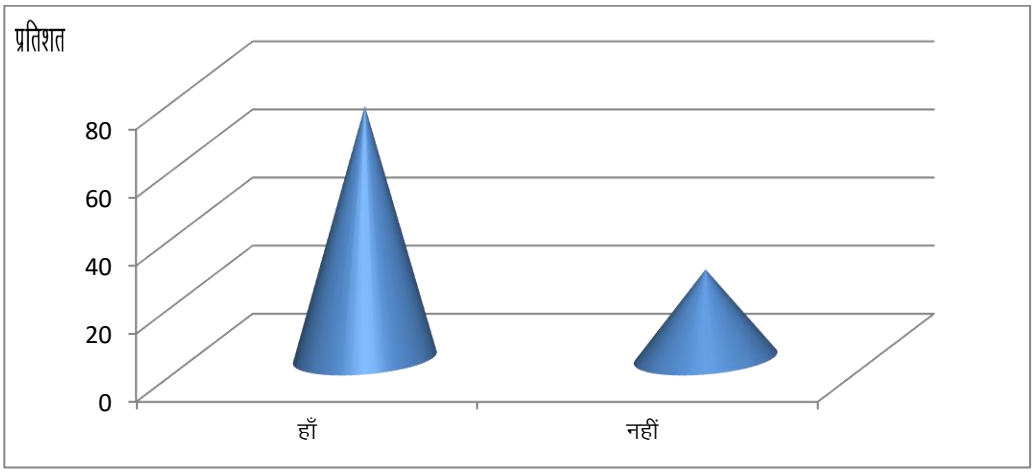

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 74 प्रतिषत उत्तरदाता को महसूस होता है कि घरेलु हिंसा का नशा एक महत्वपूर्ण कारण है एवं 26 प्रतिषत उत्तरदाता को महसूस नहीं होता है कि घरेलु हिंसा का नषा महत्वपूर्ण कारण है।

18. क्या उत्तरदाता 'घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की जानकारी है?

तालिका क्रमांक – 18

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	132	44
2	नहीं	168	56
	कुल	300	100

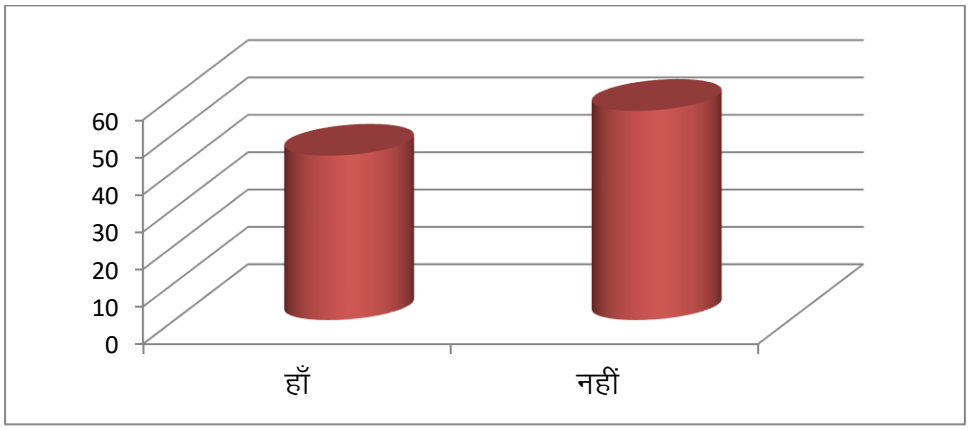

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 56 प्रतिषत उत्तरदाता को घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनिय 2005 की जानकारी है एवं 44 प्रतिष उत्तरदाता को जानकारी नहीं है।

19. यदि हॉ, क्या उत्तरदाता ने इसका उपयोग किया?

तालिका क्रमांक – 19

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	90	30
2	नहीं	210	70
	कुल	300	100

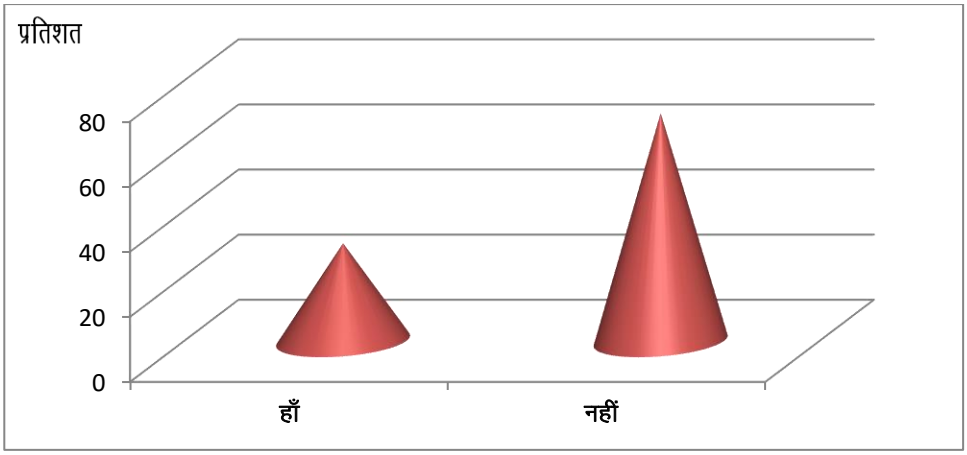

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 70 प्रतिषत उत्तरदाता ने इसका उपयोग नहीं किया एवं 30 प्रतिषत उत्तरदाता ने इसका उपयोग किया है।

20. यदि हॉ, उत्तरदाता को इस अधिनियम की सहायता से क्या राहत मिली?

तालिका क्रमांक – 20

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत

1	निवास	25	8.33
2	पारिवारिक पुर्नवास	60	20
3	भरणपोषण	60	20
4	प्रतिकर राशि	40	13.33
5	कुछ नहीं	115	38.33
	कुल	300	100

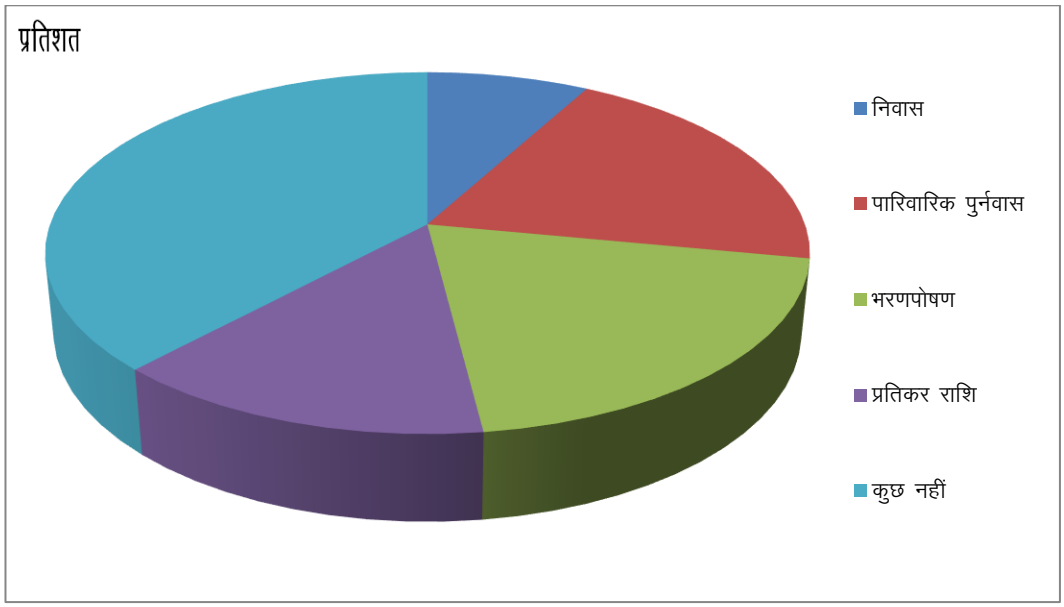

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 38.33 प्रतिषत पारिवारिक पुर्नवास, 20 प्रतिषत पारिवारिक पुर्नवास, 20 प्रति भरणपोषण, 13.33 प्रतिषत प्रतिकर राषि , 8.33 प्रतिषत निवास एवं 38.33 प्रतिषत महिलाओं को इस अधिनियम की सहायता से राहत मिली है।

21. क्या उत्तरदाता को घरेलु हिंसा की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र और महिला बाल विकास विभाग की जानकारी है

तालिका क्रमांक – 21

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	102	34
2	नहीं	198	66
	कुल	300	100

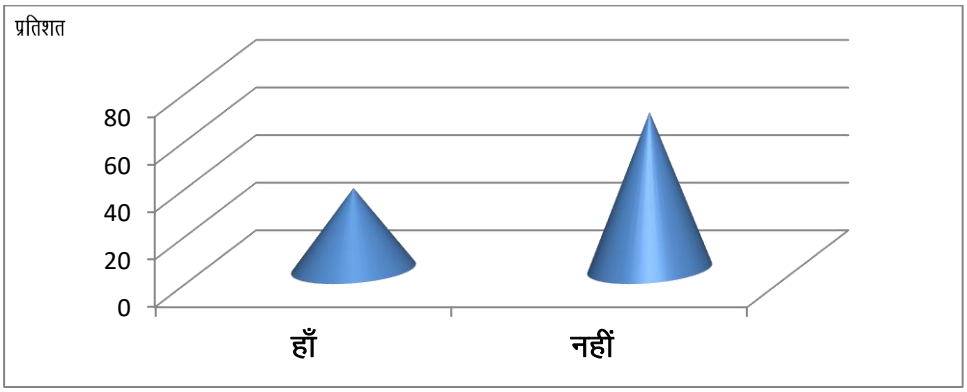

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 34 प्रतिषत महिलाओं को घरेलु हिंसा की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र और महिला बाल विकास विभाग की जानकारी है एवं 66 प्रतिषत महिलाओं को जानकारी नहीं है।

23. क्या उत्तरदाता को घरेलु हिंसा की स्थिति में पुलिस थाने में स्थापित ऊर्जा महिला डेस्क की जानकारी है?

तालिका क्रमांक – 23

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	45	15
2	नहीं	255	85
	कुल	300	100

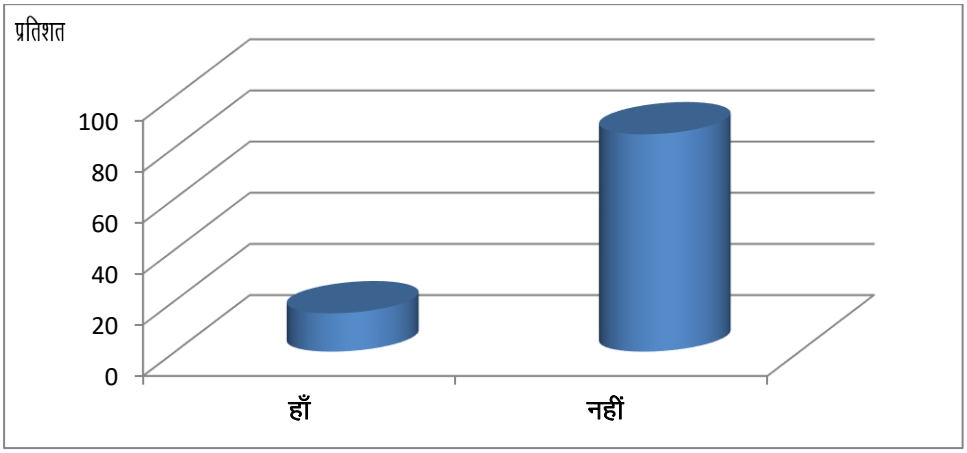

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 15 प्रतिषत महिलाओं को घरेलु हिंसा की स्थिति में पुलिस थाने में स्थापित ऊर्जा महिला डेस्क की जानकारी है एवं 85 प्रतिषत घरेलु हिंसा की स्थिति में पुलिस थाने में स्थापित ऊर्जा महिला डेस्क की जानकारी है।

24. क्या उत्तरदाता महिला हेल्प लाइन नंबर 181 के बारे में जागरूक है ?

तालिका क्रमांक – 24

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	88	22.33
2	नहीं	212	70.66
	कुल	300	100

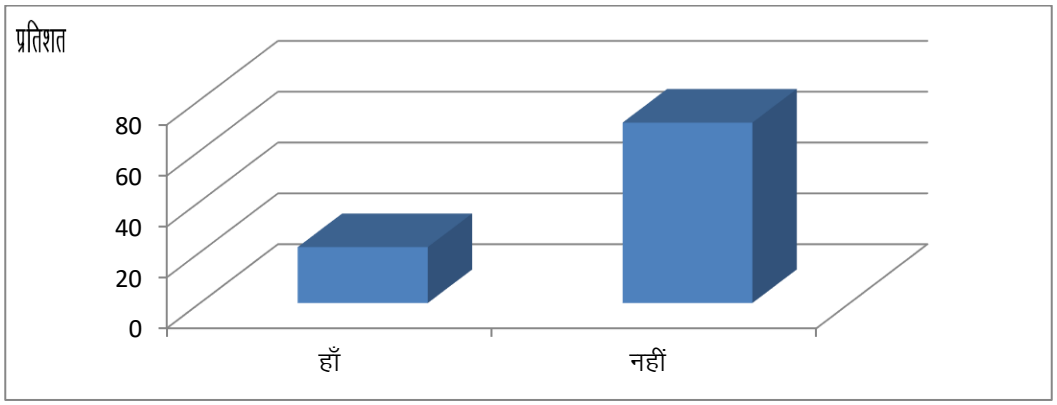

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 70.66 प्रतिषत महिलाएं महिला हेल्प लाइन नंबर 181 के बारे में जागरूक नहीं एवं 22.33 प्रतिषत महिलाएं महिला हेल्प लाइन नंबर 181 के बारे में जागरूक है।

25. क्या उत्तरदाता महिला सहायता ऐप 112 से परिचित है?

तालिका क्रमांक – 25

क्रमांक	तथ्य	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	45	15
2	नहीं	255	85
	कुल	300	100

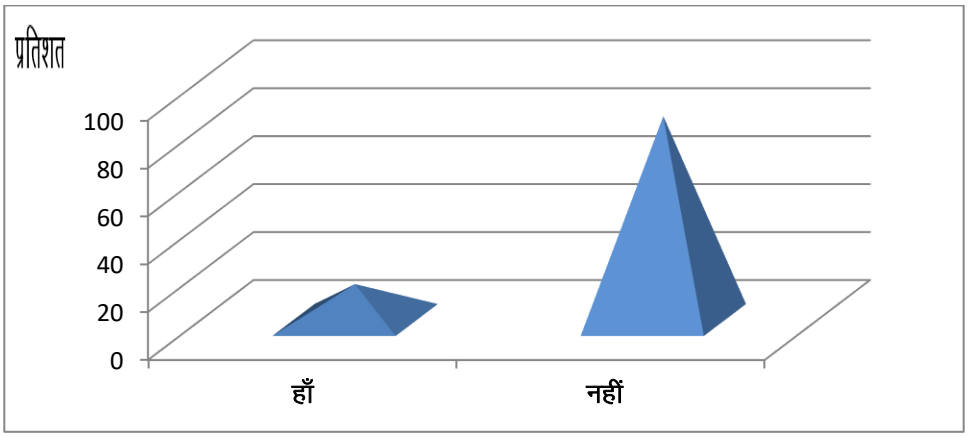

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों में 85 प्रतिषत महिलाएं महिला सहायता ऐप 112 से परिचित नहीं है एवं 8 प्रतिषत महिलाएं महिला सहायता ऐप 112 से परिचित है।

घरेलू हिंसा के कारणः–

- महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
- प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है।
- विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाँझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।
- बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता–पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिये उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिये मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं।
- गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिये माता–पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें मिली हैं। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है।
- वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता–पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता–पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिये उनकी पिटाई करते हैं।

- विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये उन्हें पीटा जाता है। बहुत ही सामान्य कारणों में से एक संपत्ति हथियाने के लिये दी गई यातना भी शामिल है।

घरेलू हिंसा के प्रभावः–

- यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
- घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है।
- बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इस का असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है।
- बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप–चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ समाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।

समाधान के उपाय :–

- शोध के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकल सकते हैं।
- भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि "महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिये हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।"

- सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि "पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने" के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।
- सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित है और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पारिवारिक रिष्तेदारों को भी अधिनियम की बारिकियाँ पता होनी चाहिए, कि यदि पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा है तो अधिनियम में कठोर दण्ड के प्रावधान है।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
- सरकार ने वन–स्टॉप सेंटर' जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।
- महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इंडिया ने 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।
- भारत सरकार के द्वारा संचालित महिला हेल्प लाइन '181' एवं '112' गूगल ऐप भी बहुत ही अच्छे उपायों के रूप में उभरे है, बस आवष्यकता है तो इसे और ज्यादा जनता तक पहुँचाना और उसका उपयोग कैसे किया जाए इस बारे में जागरूकता बढाना
- मध्यप्रदेष शासन द्वारा घरेलु हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी 2022 में ''घरेलु हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना'' प्रारंभ की है जो अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता के शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता राषि रूपये 2 लाख एवं रूपये 4 लाख तक दिए जाने का प्रावधान करती है। इसका प्रचार प्रसार अति आवष्यक है।
- परिवार, सामाजीकरण की प्रथम सीढ़ी है। यदि परिवार में बच्चों को बचपन से ही समानता एवं महिलाओं के प्रति सम्मान की षिक्षा दी जाए तो घरेलु हिंसा की समस्या को कम किया जा सकता है।
- पितृसत्तात्मक समाज की पुरूषों में प्रभुता की सोच को समाप्त कर समानता एवं सम्मान की सोच यदि, प्रत्येक परिवार में आ जाये तो घरेलु हिंसा समाप्त हो सकती है।

निष्कर्ष :–यदि हम भारत के प्रत्येक परिवार को घरेलु हिंसा मुक्त परिवार बनाना चाहते हैं, भारत में परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था को सुरक्षित रखते हुए भारतीय समाज व संस्कृति को एक विषेष स्वरूप देना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक सामाजिक अभियान का रूप देना आवष्यक है।

शोध में यह तथ्य सामने आया है कि घरेलु हिंसा से पीड़िता की उम्र, षिक्षा, रोजगार, पारिवारिक आय आदि घटक घरेलु हिंसा की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, किंतु प्रत्येक स्तर पर कोई भी परिवार घरेलु हिंसा से अछूता नहीं है। परिवार में 'घरेलु हिंसा' की आवृत्ति एवं प्रकृति अनिष्चित है। कुछ परिवारों में सभी प्रकार की घरेलु हिंसा होती है, कुछ में शारीरिक हिंसा की आवृत्ति ज्यादा है, ता षिक्षित एवं उच्च वर्गीय परिवारों में मानसिक हिंसा ज्यादा दिखायी देती है। स्वरोजगार में संलिप्त महिलायें एवं उच्च वेतन प्राप्तकर्ता महिलाएँ भी घरेलु हिंसा का षिकार होती हैं। समाज में व्याप्त व्यभिचार वर्तमान में घरेलु हिंसा का प्रमुख कारण उभर कर आ रहा है। कोरोना काल में उत्पन्न पारिवारिक समस्याएँ भी घरेलु हिंसा का एक कारण के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है।

निष्कर्षतः एक समाजषास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की संरचना, पारिवारिक सामाजीकरण की पद्धति, भारतीय समाज में विवाह–परिवार जैसी संस्था की महत्ता, महिला सम्मान एवं समानता का दृष्टिकोण, विवाह पूर्व वर–वधु एवं दोनों परिवारों के सदस्यों के मध्य परामर्ष सत्र का आयोजन, दोनों परिवारों की संस्कृति एवं रीति–रिवाजों का आदान–प्रदान करके परिवार में होने वाली घरेलु हिंसा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। 'परिवार' समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। महिला इस इकाई की धुरी होती है। यदि महिलाओं के साथ घरेलु हिंसा होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। बच्चे जो समाज का भविष्य हैं, उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अतः महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा को रोककर ही हम एक श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ समाज एवं श्रेष्ठ राष्ट्र का निमार्ण कर सकते है।

संदर्भ सूची

1. पांडेय एस.एस. ''समाजषास्त्र'' टाटा मेग्राहिल एजुकेषन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली (2010)
2. जी.एल.शर्मा, ''सामाजिक मुद्दे'' रावत पब्लिकेषन, नई दिल्ली (2020)
3. राम आहूजा, ''सामाजिक समस्याएँ'' रावत पब्लिकेषन, नई दिल्ली (2022)
4. मोतीलाल गुप्ता, ''भारतीय समाज'' राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी, जयपुर (2020)
5. कुमार डॉ नीतू, ''महिला सषक्तिकरण और सुरक्षा विषयक चुनौतियाँ '' प्रषांत पब्लिकेषन हाउस, दिल्ली (2018)
6. विजन आई.ए.एस., ''सामाजिक मुद्दे'' अप्रैल 2022–दिसंबर 2022
7. दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, टाइम्स ऑप इंडिया समाचार पत्र
8. एस.सी.आर.बी के आकड़े
9. सखी डैषबोर्ड के आँकड़े
10. भारत सरकार की घरेलु हिंसा रिपोर्ट